प्रपत्र-"छ"
(नियम १४ का उपनियम ०२ देखिये)
भवन निर्माण स्वीकृति पत्र
कार्यालय-नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

सेवा में,

श्री/सुश्री/श्रीमती राधवेन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री स्व० उदयभान सिंह

निवासी बकवल द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या 672

दिनांक 02.12.2024 जो जनपद-मऊ के मौजा/ग्राम/मुहल्ला बकवल के

अराजी संख्या/सजरा संख्या/भवन संख्या 30 मि० पर निर्माण/ पुनःनिर्माण/सारवान परिवर्तन/ गिराने के लिए अनुज्ञा सम्बन्धी है, को नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के आधार पर स्वीकृति दे दी गई है:-

१. मानचित्र स्वीकृति का सम्बन्ध भू-स्वामित्व से नहीं होगा। स्वामित्व विवादित होने की दशा में यह स्वीकृति विधि मान्य नहीं होगी। मानचित्र स्वीकृति आदेश भू-स्वामित्व के निर्धारण का अभिलेख नहीं होगा। यह स्वीकृति निर्माण के लिए स्वीकृति के दिनांक से केवल ०५ (पांच) वर्षो के लिए विधि मान्य होगी। स्वीकृति अवधि के अन्दर निर्माण पूर्ण न होने की दशा में नवीनीकरण हेतु दो माह पूर्व आवेदन नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

२. निर्माण आरम्भ करने की सूचना प्रपत्र "ज" में नियत प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा। नियत प्राधिकारी स्वयं अथवा कार्यरत अभियन्ता से कभी भी निर्माण की जांच करा सकेंगे।

३. स्वीकृत मानचित्रानुसार अर्ह व्यक्ति की देख-रेख में निर्माण करना होगा। स्वीकृति से भिन्न निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत होगा। अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमों के अधीन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित अशमनीय निर्माण स्वीकृति कि तिथि से ०१(एक) महीने के भीतर ध्वस्त कर लिखित सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

४. भवन निर्माण का कुर्सी तल आस-पास के निर्मित भवनों के कुर्सी तल के बराबर अथवा सड़क से डेढ़ फीट की ऊँचाई से अधिक नहीं होगा। सड़क/रास्ते/नाले व सार्वजनिक भूमि के ऊपर छज्जे, रैम्प व गढढा व अन्य किसी प्रकार का निर्माण कदापि नहीं किया जायेगा।

५. मा० सर्वोच्च न्यायालय की रिट सं०-१३०२६/१९८५ में पारित आदेश दिनांक २५.११.२०१६ एवं मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समस्त WASTE MANAGEMENT RULES 2016 मे पारित आदेशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक १७.१०.२०१६ को लिए गये निर्णय के अनुसार भवन में वर्षा, जल संग्रह प्रणाली, दूषित जल निकासी, मल प्रवाह आदि का प्रबन्ध स्वयं भवन स्वामी को करना होगा साथ ही पर्यावरण सुधार की दृष्टि से प्रति हेक्टेअर १२५ (एक सौ पच्चीस) वृक्ष अथवा कम से कम दो वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
   (क) दूषित जल नदियों में नहीं छोड़ा जायेगा।
   (ख) वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतुकार्य स्थल पर निर्माण सामग्री को ढक कर रखना एवं पानी आदि का छिड़काव करना अनिवार्य होगा।

६. आवासीय भवन जिसकी लागत रुपया दस लाख से अधिक हो एवं अन्य सभी प्रकार के भवन निर्माण पर श्रम विभाग को उ०प्र०भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मद में लेबर सेस, परियोजना की लागत का १% जमा करना होगा।

७. भवन स्वामी को भवन में अग्नि सुरक्षा एवं भूकम्परोधी प्रणाली का प्रबन्ध क्रमशः अग्नि शमन विभाग एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में करना अनिवार्य होगा।

८. कार्य स्थल पर भवन निर्माण के समय निम्न अभिलेखो अधिकृत अर्हता प्राप्त व्यक्ति से तैयार कराकर आपको रखना अनिवार्य होगा।
   (क) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
   (ख) मृदा परीक्षण रिर्पोट तथा प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
   (ग) नींव सुपर स्ट्रक्चर की गणनाएँ तथा भवन को भूकम्परोधी बनवाने हेतु संरचनात्मक डिजाईन से सम्बन्धित समस्त मानचित्र व स्ट्रक्चर डिटेल तथा निर्माण सामग्री परीक्षण रिर्पोट।

९. भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ अर्ह व्यक्ति, जिसके पर्यवेक्षण में निर्माण पूर्ण कराया गया हो, का प्रमाण पत्र एवं भूकम्परोधी व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण प्राप्त करने के पश्चात् भवन प्रयोग में लाया जाना वैध होगा।

१०. स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन न करने की दशा में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

११. ....

(हस्ताक्षर) 24/2/25

अवर अभियन्ता
विनियमित क्षेत्र-मऊनाथ भंजन,
जनपद-मऊ।

(हस्ताक्षर) 24.2.25

नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र-मऊनाथ भंजन,
जनपद-मऊ।

Scanned with CamScanner